श्री हुकम चन्द कछवाय : अपने दल का मैं अकेला आदमी बैठा हूं। आपने बाकी सब लोगों को सुना, मुझे नहीं सुना। मैं कितनी दफा खड़ा हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : खड़े तो और लोग भी थे।... (व्यवधान) ...कछवाय साहब, अब मिनिस्टर ने भी जवाब दे दिया...

श्री हुकम चन्द कछवाय : आपने सब दलों के लोगों को बुलाया, मुझे नहीं बुलाया, मैं कई दफा खड़ा हुआ। हमारा क्या व्यू है वह भी तो मालूम पड़ना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, कल रात को हमारे प्रधान मन्त्री ने जो भाषण किया जो आज अखबारों में भी आया उसमें उन्होंने निवेदन किया कि ऐसे संकट के समय में सब लोगों को सहयोग करना चाहिए ताकि देश में जो सूखे की स्थिति है और देश में जो उपद्रव खड़े हो रहे हैं उनका मुकाबिला किया जा सके और उनको समाप्त किया जा सके। एक ओर तो प्रधान मन्त्री ऐसी नीति अपनाती हैं और ऐसी घोषणा करती हैं और दूसरी ओर हमारे कार्यकर्त्ताओं को अन्धाधुन्ध गिरफ्तार कर रहे हैं। सोते हुए लोगों को पकड़ा जा रहा है, काम करते हुए को पकड़ा जा रहा है। तो इस प्रकार सहयोग लेना चाहती हैं ? जब तक संकट होता है तब तक तो सभी दलों से सहयोग के लिए प्रार्थना करते हैं और जब संकट चला जाता है तो सब कुछ भूल जाते हैं। केवल अपनी पार्टी याद रहती है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी गिरफ्तारियां को फौरन बन्द करना चाहिए। ऐसे ऐसे बेगुनाह लोगों को पकड़ा जाता है। आर० एस० एस० और जनसंघ के लोगों को पकड़ा जाता है। उनकी गिरफ्तारियां बन्द होनी चाहियें।

16.39 hrs.

MOTION RE: VIGILANCE COMMISSION REPORT—*contd.*

Mr. Speaker: I find that Mr. Bade was on his legs so far as the Vigilance Commission report is concerned. He is not here today. Any other hon. Member?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, हम लोग प्रथम सतर्कता आयोग की पहली रिपोर्ट पर विचार कर रहे हैं। गृह मंत्रालय ने सतर्कता आयोग को कायम कर इस देश में भ्रष्टाचार के निवारण के लिए जो वातावरण तैयार किया है वह स्वागत के योग्य है। प्रशासन में अनेक प्रकार की गल्तियां भी हो सकती हैं, मानवीय भूलें भी हो सकती हैं, लेकिन ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जहां जान-बूझ कर कुछ ऐसी गल्तियां हो जाती हैं, या ऐसे निर्णय लिये जाते हैं, जिनके कारण लोगों में असन्तोष की भावना उत्पन्न होती है। असन्तोष की इस बढ़ती हुई भावना की रोक-थाम के लिये, जनता की शिकायतों को दूर करने के लिये और जनता को पूरा न्याय मिल सके, इसके साथ साथ अधिकारी वर्ग को भी न्याय मिल सके और प्रशासन ज्यादा चुस्ती से, ज्यादा सतर्कता से, ज्यादा मुस्तैदी से काम कर सके इसके लिये सतर्कता आयोग की स्थापना से जो वातावरण पैदा हुआ है उससे मुझे ऐसी उम्मीद है कि इस देश में अच्छा वातावरण तैयार होगा और न केवल जनता की शिकायतें दूर होंगी बल्कि अधिकारी वर्ग को ज्यादा अच्छी तरह, ज्यादा मुस्तैदी से काम करने का अवसर प्राप्त होगा।

16.41 hrs.

[SHRI P. VENKATASUBBAIAH *in the Chair*]

हमारे देश में पिछले 15 या 17 वर्षों में, स्वराज्य आने के बाद, प्रशासन में काफी विस्तार हुआ है। 1947 के पहले प्रशासन से हम लोग जिस काम की उम्मीद नहीं करते थे, जिसकी मांग नहीं करते थे, उसकी मांग

[श्री सिद्धेश्वर प्रसाद]

बढ़ती जा रही है। हमारे देश में स्वराज्य के बाद ऐसा वातावरण पैदा हुआ है कि हम हर बात में सरकार की ओर देखते हैं, हमारा ध्यान इस ओर जाता है कि हमारी सरकार कितना कुछ कर रही है। कहीं भी खाद्यान्न के अभाव की स्थिति उत्पन्न होती है या किसी भी इलाके में स्कूल या कालेज अथवा अस्पताल की आवश्यकता होती है, सड़कों की आवश्यकता होती है, वाणिज्य व्यापार में किसी प्रकार की दिक्कत होती है या उद्योगों के सामने संकट आता है, वैसी स्थिति में हमारा ध्यान बराबर सरकार की ओर जाता है। स्पष्ट है इससे सरकार का काम बढ़ेगा और सरकार के सामने अपने अधिकार के विस्तार की भी आवश्यकता महसूस होगी। ऐसी स्थिति में यह बहुत सम्भव है कि जगह-जगह गलतियां हो जाया करें। भूलें हो जाया करें। इसलिये इस बात की आवश्यकता हो जाती है कि प्रशासन में चुस्ती लाने के लिये अधिक से अधिक सतर्कता बरती जाये।

सतर्कता आयोग की जो पहली रिपोर्ट है, जिस पर हम विचार कर रहे हैं, उससे स्पष्ट हो जाता है कि सतर्कता आयोग ने काफी मुस्तैदी से काम किया है, लेकिन सतर्कता आयोग की स्थापना के बाद इस संसद् ने और संसद् के बाहर भी इस काम में दिलचस्पी रखने वाले लोगों ने इस बात को अनुभव किया कि सतर्कता आयोग हमारे देश में जो भ्रष्टाचार की समस्या उत्पन्न हो गई है उसके निवारण के लिये पर्याप्त नहीं है। इसीलिये इस समस्या पर आगे विस्तार के साथ विचार करने के लिये और प्रशासन की जो कड़ी है, जो मशीनरी है उसमें और भी बुनियादी तौर पर सुधार लाने के लिये भारत सरकार ने ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन का गठन किया, और ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन की एक इंटेरिम रिपोर्ट हमारे सामने आई है।

मैं गृह मंत्रालय का ध्यान ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन की इस इंटेरिम रिपोर्ट में जो सिफारिशें आई हैं उनमें से दो बातों की ओर विशेष रूप से आकृष्ट करना चाहता हूं। कारण यह है कि इस देश में इस प्रकार की भावना बढ़ती जा रही है कि जब तक प्रशासनिक स्तर ऊंचा नहीं होता है तब तक हम अपनी समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढ पायेंगे।

इस दिशा में गृह मंत्रालय ने भूतपूर्व गृह मंत्री के नेतृत्व में जो काम किया उसकी वजह से वह सर्वथा धन्यवाद का पात्र है। भूतपूर्व गृह मंत्री ने इसमें जो दिलचस्पी ली और भ्रष्टाचार के निवारण के लिये जो वातावरण तैयार किया उसके लिये श्री नन्दा हार्दिक बधाई के पात्र हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह काम यहीं नहीं रुकना चाहिये और वर्तमान गृह मंत्री श्री चव्हाण इस बात में पूर्ण दिलचस्पी लेंगे ऐसी मैं आशा करता हूं।

ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन ने जो सिफारिशें दी हैं उनमें से दो महत्वपूर्ण सिफारिशों की ओर मैं सभा का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। पहली तो यह है कि अनेक देशों में ओमबुड्समैन की जो प्रणाली है उसके आधार पर, उस के ढंग पर उसमें लोकपाल की व्यवस्था करने की सिफारिश की गई है। इस लोकपाल की नियुक्ति के बाद उन मामलों पर विचार किया जायेगा, जनता की उन शिकायतों पर ध्यान दिया जायेगा जिसकी ओर सतर्कता आयोग अभी तक ध्यान नहीं दे पाया है या जो उसके अधिकार सीमा के बाहर हैं। लोकपाल विशेष रूप से मंत्रियों और विभागीय सचिवों के सम्बन्ध में जो शिकायत की बातें आयेंगी उन पर विचार करेगा। लोकपाल के सम्बन्ध में ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बतलाया है कि अनेक निर्णय उच्चतम स्तर पर लिये जाते हैं, और कुछ ऐसी भी शिकायतें सुनने में आती हैं जिनसे ऐसा लगता है कि या तो मंत्रिमंडल के स्तर पर या

मंत्री विशेष के स्तर पर अथवा सचिव विशेष के स्तर पर निर्णय लेने में भूल हुई है, पक्षपात से काम लिया गया है या और किसी प्रकार की गलती हुई है । इसलिये ऐसी स्थिति में जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिये, प्रशासन के स्तर को ऊंचा बनाने के लिये और काम-काज में तेजी लाने के लिये यह अत्यन्त आवश्यक हो जाता है कि उस स्तर पर भी जांच के लिये एक विशेष व्यक्ति की नियुक्ति की जाये, जिस को लोकपाल की संज्ञा दी गई है ।

उससे नीचे के स्तर की जो शिकायतें होंगी, ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन की सिफारिशों के मुताबिक लोकायुक्त की स्थापना होगी । प्रत्येक राज्य में एक लोकायुक्त तथा केन्द्रीय सरकार के विभिन्न महकमों से सम्बन्धित सचिव स्तर से नीचे के जो अधिकारी होंगे उन से सम्बन्धित शिकायतों पर विचार करने के लिये भी एक लोकायुक्त होगा । लोकपाल का दर्जा भारत के मुख्य न्यायाधीश के स्तर का होगा और लोकायुक्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के दर्जे का होगा । अगर इस सिफारिश को सरकार मान लेती है तो मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत सारी गड़बड़ियां खत्म हो जायेंगी । मुझे पूरी आशा है कि सरकार इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही है और वह इस सिफारिश को स्वीकार करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचायेगी । उसके बाद ऐसा वातावरण पैदा होगा कि इस देश में प्रशासन का स्तर ऊंचा उठेगा ।

मैं इस बात को मानता हूं और इस बात को अनुभव करता हूं कि जो इंग्लैंड, स्कैन्डिनेविया, स्वेडेन या नार्वे जैसे छोटे-छोटे देश हैं या न्यूजीलैंड है, उनकी तुलना में हमारे देश की समस्यायें बहुत ही जटिल हैं, अत्यन्त विषम स्थिति से हम गुजर रहे हैं और उन देशों का जितना विकास हो चुका है या उनका प्रशासन तंत्र पिछले दो ढाई सौ वर्षों में जितना विकसित हो चुका है, हमारा प्रशासन तंत्र या हमारा सामाजिक तंत्र उतना विकसित नहीं हुआ है, यहां के नागरिक उस रूप में शिक्षित नहीं हो सके हैं इसलिये हमारी कठिनाइयां अनेक हैं । हम ने कोई स्पष्ट परम्परा भी निर्धारित नहीं की है इसलिये हमारे सामने कठिनाइयां हैं । हमारे सामाजिक और धार्मिक जीवन में भी अनेक प्रकार की समस्यायें मिली जुली हैं, इसलिये कठिनाइयां हैं । लेकिन मेरा विश्वास है कि उन कठिनाइयों के बावजूद हम ऐसी परम्परा का निर्माण करने में सफल होंगे जिसके कारण प्रशासन का स्तर ऊंचा होगा ।

इस सम्बन्ध में मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर भी आकृष्ट करना चाहता हूं कि जब तक हम प्रशासन का स्तर ऊंचा नहीं करते, जनता की भावनाओं को ध्यान में रख कर प्रशासन को लोकोन्मुखी बनाने की कोशिश नहीं करते तब तक हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकते । हमारे संविधान में बतलाया गया है कि हम भारत में ऐसे गणराज्य की स्थापना करना चाहते हैं जहां सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होगा । अगर हम अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो वास्तव में हमें प्रशासन तन्त्र को चुस्ती और मुस्तैदी से युक्त करना पड़ेगा, उसमें कुछ सतर्कता लानी होगी ।

यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अनेक ऐसी शिकायतें सतर्कता आयोग के सामने आई हैं जिनके पीछे कोई आधार नहीं था । अफवाह के आधार पर या कही सुनी बातों के आधार पर लोग शिकायतें करते हैं जिसके कारण प्रशासन का स्तर नीचा होता है । इसलिये इस दृष्टि से वातावरण को बदलने की जरूरत है । अगर हर बात में हम किसी न किसी मोटिव को ढूंढें या हर बात में समझें कि कहीं न कहीं कोई गलती हुई होगी, कहीं न कहीं दुर्भावना छिपी हुई है, तो प्रशासन का स्तर ऊंचा नहीं उठ सकता है । प्रशासन का

[श्री सिद्धेश्वर प्रसाद]

स्तर किसी हद तक देश की जनता के मनोबल से जुटा हुआ होता है। आखिर प्रशासन में, मंत्री पद हो या सचिव पद हो या उच्च अधिकारी पद हो, आदमी कहां से आते हैं। वह शासन चलाने वाले व्यक्ति भी हमारे समाज का अंग होते हैं। जब तक हमारे सामाजिक जीवन का स्तर ऊंचा नहीं होता है, जब तक उसकी नैतिकता ऊंची नहीं होती है, उसका मान दंड ऊंचा नहीं होता है, वातावरण में परिवर्तन नहीं होता है तब तक हम कैसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। इसलिये मैं ऐसी आशा रखता हूं कि दृष्टिकोण को बदलने में, सामाजिक जीवन का आधार बदलने में हम सब मिल कर प्रयत्न करेंगे, और इस दृष्टि से मैं इस देश में जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं उनका ध्यान भी आकृष्ट करना चाहता हूं। इतना ही काफ़ी नहीं है कि हम बार-बार सरकार की प्रशासनिक त्रुटियों की ओर संकेत कर दें। अनेक प्रकार की भ्रष्टाचार की कहानियां फैलाना, अफवाहें पैदा करना और इस देश के प्रशासकों के मनोबल को गिराने की कोशिश करना और ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश करना कि उनके लिए काम करना कठिन हो जाये ठीक नहीं है। इतना ही काफ़ी नहीं है कि हम अपनी मांगें पेश करें उसके साथ-साथ हम अपने दायित्व को भी समझें, उसकी तरफ भी ध्यान दें। जब तक ऐसा वातावरण नहीं बनता है जब तक उसमें हम सक्रिय सहयोग प्रदान नहीं करते हैं तब तक निश्चय ही हम अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो सकते हैं। सतर्कता आयोग की रिपोर्ट को देखने से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि केवल एक मामले में मतभेद हुआ है। ऐसा वातावरण उत्पन्न होने के बाद, ऐसी स्थिति उत्पन्न होने के बाद भी यदि हम आशा नहीं रखेंगे, इसमें हम विश्वास नहीं रखेंगे तो वातावरण नहीं बदल सकता है और हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल नहीं हो सकते हैं।

मैं पुनः इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि सतर्कता आयोग की स्थापना कर वातावरण को बदलने के लिए कदम उठाया गया है। लेकिन भारत सरकार ने जिस प्रकार से सतर्कता आयोग की स्थापना की थी उसी प्रकार से राज्य सरकारों को भी सतर्कता आयोगों की स्थापना करनी चाहिये क्योंकि सामान्य जनता का जितना सम्बन्ध राज्य सरकारों से होता है उससे कहीं कम केन्द्रीय सरकार से होता है, जनता के जीवन का सम्बन्ध राज्य सरकारों से अधिक होता है और केन्द्र से कम होता है। इस दृष्टि से भी राज्यों में इनकी स्थापना होना बहुत जरूरी है।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन की जो सिफारिशें हैं उनको मान कर कार्यान्वित करने के लिए शीघ्र से शीघ्र कदम उठाने की जरूरत है।

Shri N. C.Chatterjee (Burdwan): Sir, when we are discussing this difficult question of weeding out corruption from administration and public life, we have got to remember today the little service that the late Home Minister, Shri Gulzarilal Nanda, rendered.

Shri G. N. Dixit (Etawah): Not late.

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): Please do not call him the late Home Minister.

An Hon. Member: the ex-Home Minister.

Mr. Chairman: "Late" is also correct.

Shri N. C. Chatterjee: Very well, Sir, let it be "the ex-Home Minister".

As a matter of fact, he tried to do something in this difficult region but unfortunately he has been slaughtered as a Minister in the anti-cow slaughter movement. Anhow, we should remember today that in 1962 the Santhanam Committee was appointed to tackle this very difficult question. Thereafer the

Commission unanimously recommended it and in 1963 the Vigilance Commission was instituted. I have the privilege to know personally the late Chief Justice of the Mysore High Court, Chief Justice, Nitoon Srinivasa Rao was an able judge and we are happy that a man like him took up the chairmanship of the Commission. He has presented this report.

Now, the whole difficulty is that no commission can really command public confidence and effectively tackle the problem unless it is completely divorced from ministerial influence. That is the most important thing. My hon. friend was talking of Ombudsman. I remember, when I was sent by the Government of India as Deputy Chairman of the legal delegation to U.S.S.R., Mr. D. N. Pritt told me when I was leaving India, "When you go to Moscow kindly do one thing. Of course, I know, you are very critical.... (*Interruption*).

श्री काशी राम गुप्त (अलवर) : मैं सदस्य महोदय की और आपकी आज्ञा से एक विशेष सूचना देना चाहता हूं । हाउस के अन्दर पुलिस वाले आ गये हैं और मधु लिमये साहब और बागड़ी साहब को एरेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं । उनको तंग कर रहे हैं ।

श्री मौर्य (अलीगढ़) : सदन में भीतर आ गये हैं ।

Shri N. C. Chatterjee: It is a very serious thing.

Mr. Chairman: We will get the matter inquired into.

श्री मौर्य : पालियामेंट हाउस में आये हैं और तंग कर रहे हैं ।

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : आप हिदायत दे रहे हैं । सब अन्दर अफसर आये हुए हैं बिना इजाजत ।

श्री मौर्य : पुलिस राज बनाये जायें ।

Shri Dinen Bhattacharya (Serampore): I am just now coming from outside. The whole House is surrounded by the IB people. I will ask the Deputy Minister to take note of this thing. How is it being done? They are coming inside the Parliament and are harassing people.

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shr Vidya Charan Shukla): No Member should be allowed to interrupt the proceedings like this without your permission. I refuse to take note of this.... (*Interruption*).

Shri Dinen Bhattachrya: What is this?

Mr. Chairman: Please resume your seat.

Shri Vidya Charan Shukla: Let the proceedings go on.

Shri N. C. Chatterjee: We are very much depressed......

Shri Dinen Bhattacharya: I will request the Chairman to ask the Deputy Minister to take note of this thing immediately. This is creating a very bad precedent in the country.

Shri Vidya Charan Shukla: All these things must be expunged from the proceedings.

Mr. Chairman: The proceedings shall not be interrupted in this manner. We will inquire about it.

Shri Maurya: Where is the permission for them to enter the House? They have entered the Parliament building without permission Who has given them the permission?

Mr. Chairman: Order, order. Please resume your seat. Shri Chatterjee.

Shri N. C. Chatterjee: Very serious charges have been levelled. That is really a matter of our privilege. Anyhow, I proceed....

Shri Vidya Charan Shukla: Action must be taken against the hon. Mem-

[Shri Vidya Charan Shukla]

bers for saying things which are not right. (*Interruptions*).

Shri N. C. Chatterjee: How can the Deputy Minister say it is not right? How does he know that? He is sitting here. That is improper.... (*Interruptions*).

Shri Vidya Charan Shukla: My submission is this. If it is right, action will be taken against the errant officer but, if it is found wrong, action must be taken against the Members who have given a wrong information. That is all I am saying.

Shri N. C. Chatterjee: May I make a submission? The hon. Minister has no business to say that the Members should be punished for making this statement. First of all, he should make an enquiry. They are coming from outside the House and they are the eye-witnesses. Anyhow, I proceed with my speech.

I was very happy that the former Chief Justice of Mysore, Shri Nitoor Sreenivasa Rau, a man of distinction and a man of integrity was the Chairman of the Central Vigilance Commission. I was telling you that one of the greatest English laywers, the biggest Barister in England, Mr. D. N. Pritt told me, "Although you are very critical of a totalitarian State, when you go to Moscow as the Chairman of the Legal Delegation, please meet one man there." I asked, "Who is that man?" and he said, "Procurator-General". I thought the Procurator-General was really a man who was installed there by the Moscow Government that is, by the Khruschev Government in order to help the Government to keep up its totalitarian regime. But I cross-examined him thoroughly and I was satisfied that even in a totalitarian State, the Procurator-General was receiving complaints from all sorts of people and I was assured that in 12 or 13 per cent of cases, his intervention was successful. One good thing was that anybody could approach the Procurator-General. There was no technical objection or the question of limitation raised that the High Court or the Snupreme Court had decided a thing five years before and, therefore, it could not be re-opened. Those things were not entertained.

We have been pleading for an Ombudsman. All sections of the House were for it because of one thing that an Ombudsman is free from ministerial control, that an Ombudsman is in a position to take decision on his own and that he can report directly to the Parliament and see that things are done. That is the great thing. Therefore, unless you appoint a man like an Ombusdman, you cannot achieve the desired end. I have no charm for that name and I welcome the recommendations of the Administrative Reforms Commission headed by Shri Morarji Desai. My hon. friend Shri Kamath was also there. They have made two recommendations. I welcome both the recommendations, one is Lok Pal and the other is Lok Ayukt. The Lok Pal, I think, is the higher officer meant for tackling all charges of corruption and other charges of improper conduct against Ministers and Secretaries and other high-level officers and the Lok Ayukt is meant for tackling all the charges against the State administration officers and other officials.

I bring it to the notice of this House one good thing that the Morarji Commission has recommended.

Shri Tyagi (Dehra Dun): Will the Lok Pal have jurisdiction over ex-Ministers also?

Shri N. C. Chatterjee: Yes; they will also be included in that. My hon'ble friend will come within his jurisdiction.

One good thing that the Morarji Commission has recommended—I am obliged to that Commission for this recommendation—is that he shall be appointed not by the Home Minister. I have nothing against the Present Home Minister. I have respect for Mr. Chavan. He had rendered a good

account of himself as Defence Minister and I have no doubt that he will also behave in a proper way as the Home Minister. I do not believe in the reported order of "shoot at sight" and possibly it is a canard which has been published. I hope he will behave properly. But one thing is important; whether it is Mr. Nanda or Mr. Chavan or anybody else, free the Ombudsman, free the Lokpal, from all Ministerial influence. In this report you will find that the difficulty that the Commission felt was this. At the highest political level it is difficult to weed out corruption and it cannot be weeded out so long as you make the Commissioner or the Vigilance Officer amenable to the influence of one Minster or the other or the Government. What is the recommendation of Mr. Morarji Desai and others? They are saying that the President will appoint the Lokpal in consultation with the Chief Jusice of India and the Government's nominee and also the Opposition nominee; either the Leader of the Opposition in the House or the entire Opposition will elect a man for that particular purpose. This is an innovation. I think it is better than the scheme from Scandinavia. When I was in Australia as one of the delegates of the bar representing this country in the Commonwealth Law Conference, I studied the Ombudsman system in New Zealand. I think this is a better system than the one in New Zealand. Therefore, I am advocating it thoroughly.

17 hrs.

In about one year, in spite of the handicap of their being a new body, in spite of their not having a proper staff, they have dealt with 5,543 cases. Out of the 5,543 cases, the number of complaints relating to corruption among public servants was 3,514, the number of complaints relating to matters other than coruption was 1,408 and the number of complaints relating to matters concerning various State Governments was 621. Out of 5,543 cases, 4,514 were relating to corruption among public servants. I am very happy that the former Chief Justice of Mysore High Court has paid a tribute to our officials who are said to have co-operated with the Committee.

Look at the various kinds of corruption. The diverse modes of corruption are depicted on pages 15 and 16. 27 kinds of corruption have been listed. I may read two or three.

> "Misappropriation of public money and misappropriation of stores."

Misappropriation of stores is a more important and a serious kind of corruption which has invaded the ranks and which is very difficult to weed out.

Then,

> "Irregularity in grant of import/export licences"

A lot of scandal is going on over that and it is high time that that was firmly weeded out.

Then,

> "Under-assessments of Income-tax, Estate Duty, etc., for pecuniary gain."

This is the most vulnerable thing. So, many questions are being put on this subject and you know that some members from U.P. have been making the charge that one big industralist, one big merchant, is escaping a large amount of income-tax and other taxes. I do not know how he manages, but he is managing it all right.

As I said, 27 kinds of corruption have been listed: acceptance of sub-standard stores; acceptance of sub-standard works; incurring pecuniary obligations of persons with whom the public servants have official dealings; showing favours to contractors/firms; claiming of false T.A., house rent, etc.; possession of disproportionate assets; purchase of immovable property, etc., without prior permission or intimation; causing loss to Government by negligence or otherwise; abuse of official position and powers; and so on.

Shri Tyagi: Are they only allegations and they were inquired into?

Shri N. C. Chatterjee: They were inquired into and in good many cases, punishments were meted out. I do not think that my hon. friend has gone through the report. They have said that in a number of cases they have been successful in geting hold of the offenders. Not in all cases have their recommendations been accepted. They ought to have been accepted. But they have said that these are the different varieties of corruption which are prevalent in this country. India's image is going down and will go down further unless this Parliament, irrespective of any party-politics or any other consideration, take firms steps to weed out all these modes of corruption. You know that that is prevailing in different ranks and the sooner the Lok Pal is appointed, the better.

I am appealing to the hon. Minister that he should have nothing to do with the Vigilance Commissioner or the Ombudsman or the Lok Pal. Let the Lok Pal be appointed by the President exercising his own individual judgment and not as the spokesman of the Government, and acting in consultation with the Chief Justice of India and a nominee of the Government and an elected nominee of the Opposition. That will be a great step ahead and that will satisfy our people. Today people do not come forward because they are afraid that complaint will lead to further torture and would lead to suspension of licences and permits and other things, and, therefore they are very loath to come forward. In spite of that there have been about 5,500 cases in one year and in a large number of them there have been more or less convictions, and in some cases, punishments have been there. I would submit that the delinquent should be punished, and we should strive to set up a new climate. The anti-corruption drive should be thorough and pervasive and that should be intensified with the willing co-operation of all sections of the people and all sections of the House.

Shri D. C. Sharma: I congratulate the Chairman of this commission for giving us this very good, accurate and readable report. I canot forget that the Central Vigilance Commission owed its existence to Shri Nanda who, I am very proud to say, is going to sit next to me here. It was he who brought this Central Vigilance Commission into being as a result of the Santhanam Committee's report.

Nobody can deny that this commission has done good work. But there is one warning that I want to sound and it is this that we talk too much of corruption in our country; we exaggerate it; we over-state it and we over-rate it. That is what we do. My esteemed friend, Shri N. C. Chatterjee who referring to some totalitarian countries. I have also visited some of them and I have also read something about them. Do you know, Sir, that in one of the great totalitarian countries, in one of the great communist countries there is corruption? Of course, here, the commission has listed 27 kinds of corruption. If I were given a chance, I could add to that number. But 27 are enough to kill anyobdy. In those countries corruption centres round two things. The first is round transfers. A person does not want to be transferred to an out-of-the-way place, and, therefore, he would give some money to the person who is responsible for his transfer.

Shri Tyagi: It is a minor offence.

Shri D. C. Sharma: The second thing round which it centres is allotment of flats. If an officer wants a good flat to live in, he would give some money to the person who allots the flats. But whenever anybody is found to be corrupt in those countries, he receives summary trial and he is punished very severely. But here in this country we are living under a system of justice which assumes that everybody is honest unless he is proved to be dishonest.

Whenever we come across an individual who is dishonest, my hon. friend, Shri N. C. Chatterjee, will stand up and defend him and it will be very difficult to prove that that

fellow is dishonest. He will adduce such arguments in his favour that it will be very difficult to catch him. All the same, I would request my hon. friends of the Opposition and my Congress friends also not to talk so much about corruption in this country.

One case of corruption in this country is multiplied by 50 crores because our population is 50 crores. One great writer has said: people multiply their income by 10 and their weaknesses by 20. In the same way, if there is one case of corruption, it would be multiplied by 50 or 100 by some persons. Therefore, while we should beware of this insideous thing in our administrative system and our social organisation and our body politic, we should not go about talking about it in such a loud and vociferous and callous manner.

All the same, the Commission has given us a good analysis of the kinds of corruption that exist in this country. I am happy to find that the persons who staff this Commission are persons of integrity and they have made a good job of it. But do you know that there are historical reasons for corruption in Asia, not in my country alone, but all over Asia? There are also social reasons and economic reasons.

Talking of historical reasons, we have been under the thraldom of one country or another for 1000 years Similarly in the case of many other Asian countries. If you study the psychology of those persons who have suffered from the pangs of enslavement by one country or another, you will find that they have developed a kind of penchant for corruption. It will take us some time to overcome the hangover of our history for a thousand years or for 150 years.

Again there was the World War II. It taught people blackmarketing, bribery, dealing in sub-standard things; it taught people how to hoodwink the administrator and the official. World War II was over 21 years ago, but still its evil effects are with us not only in India, not only in Asia but in Europe and all over the world. Therefore, we have to take note of the historical facts also.

Again, there are social reasons. Do you know that when the Second World War was being fought, an Englishman was given only two eggs per week? I think all of us should read the memoirs of some of the statesmen of that day. If anybody got eggs from the blackmarket, it came to be known to the neighbour who would have nothing to do with this gentleman who had dealing in the blackmarket.

Shri N. C. Chatterjee referred to the need for the creation of a climate. We have to create a social climate so that there cannot be any kind of corruption.

At the same time, there are economic reasons for this corruption in this country. This age has been described as the age of rising expectations. Everybody wants to go higher and higher, everybody wants to climb upwards, everybody wants to have all the good things of life, everybody wants to educate his children in a better way, everybody wants that he should have all these amenities which anybody can have. The result is that this economic revolution which is going on all over the world, by which India has not remained untouched, has also led to this kind of phenomenon.

My friend says that there are 5,500 or so specific cases. I am very unhappy about them. I wish there had been no cases, but as things stand so many cases have come to our notice, and I have no doubt that those cases have to be properly investigated. But I would submit that such a Vigilance Commission which is independent, autonomous, free from the interference of the executive, free from the interference of the Ministers, free from the interference of the legislators and other persons, should be appointed at the State level also. They are there I know, but I wish they render as good an account of themselves as has been done by the Central Commission.

[Shri D. C. Sharma]

My hon. friend talked about the Ombudesman. I welcome that proposal, that we should have onc Lok Pal who should deal with the Ministers and legislators and officers, and there should be one Lok Ayukt, I do not know what the word is, who should deal with the complaints of the commonman. We should have them as early as possible, so that men, men like this genetleman to my left can keep quiet when I am speaking.

It has been said that we should have a code of conduct. I welcome it, but who will enforce the code of conduct, who will look into the breaches of the code of conduct, who will highlight the defects perpetrated by the non-performance so far as that code of conduct is concerned. Therefore, we would like to have that, but one thing is there. I think Mr. Chatterjee can help this Commission in this.

Sometimes these complaints go on hanging for a long time. Of course, this Commission has been taking speedy action, but they go on and on, with the result that all the fish that are caught in the net do not stay there, some of the fish escape also. Therefore, I think Mr. Chatterjee, my hon. friend, my acharya, my guru in the from of legislation, should evolve some method by means of which we can punish the wrongdoer in the shortest possible time. It is time that matters, it is the speediness of action that matters, it is the expediency of time that matters. Therefore, I would submit very respectfully that this should be done.

श्री हुक्म चन्द कछवाय (देवास) : सभापति महोदय, इतने वरिष्ठ नेता बोल रहे हैं और सदन में कोरम नहीं है ।

Mr. Chairman: Now there is quorum. Shri Kashi Ram Gupta.

श्री काशी राम गुप्त (अलवर) : सभापति महोदय, श्री एन० सी० चटर्जी साहब ने अभी लोकपाल के लिये जो सुझाव दिया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है । सतर्कता आयोग ने जो रिपोर्ट दी है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो अधिकार उनको हैं, उनसे वह फल, जो हम चाहते हैं, मिलने वाला नहीं है । जब तक मंत्री, उप-मंत्री, मुख्य मंत्री, लोक सभा के सदस्य, विधान सभा के सदस्य और राजनीतिक संगठनों के जिम्मेदार कार्यकर्ता, इसके अन्तर्गत नहीं आयेंगे, तब तक यह भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सकता है । सभापति जी, यह निर्विवाद और कटु सत्य है कि आज के भ्रष्टाचार से राजनीतिक लोग विशेष रूप से सम्बन्धित हैं । इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता, इसलिये केवल सरकारी अफसरों को पकड़ने की कोशिश करना और दूसरे अंग को छोड़ देना, यह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है, इससे भ्रष्टाचार घटने वाला नहीं है ।

मैं आप को इसी से एक उदाहरण देता हूं, इस रिपोर्ट के पृष्ठ 15 पर लिखा हुआ है—आइटम 27 में—

> "Unauthorized occupation and sub-letting of Government quarters"

यह कटु सत्य है कि बहुत बड़ी तादाद में हमारे लोक सभा के सदस्य सब-लेटिंग करते हैं और यह प्रश्न यहां पर कई बार आया है, अध्यक्ष महोदय के सामने भी आया है, किन्तु उनको कोई नहीं पकड़ता है, जब कि सरकारी अफसरों को पकड़ने की कोशिश की जाती है । जब तक इस प्रकार का भेद-भाव रहेगा, तब तक भ्रष्टाचार नहीं मिट सकता ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बहुत से भ्रष्टाचार सरकार के गलत कानूनों के कारण हैं और जब तक उन कानूनों को सुधारा नहीं जायगा, भ्रष्टाचार रुक नहीं सकता है । दिल्ली में बिक्री टैक्स के बारे में क्या होता है । कोई आदमी यदि कोई चीज खरीदता है—तो उससे पूछा जाता है कि

आप बिल लेंगे या बिना बिल के लेंगे, यदि बिल लेंगे तो बिक्री टैक्स लगेगा। जब तक इस तरह की स्थिति चलेगी, तो उससे भ्रष्टाचार कैसे मिट सकता है।

आजकल सरकार ने अपनी ग़लत नीतियों के कारण पुलिस के बारे में एक विशेष समस्या पैदा कर दी है। इस रिपोर्ट के देखने से यह कहीं पता नहीं लगता कि पुलिस वालों के कितने भ्रष्टाचार सामने आये—इसका कारण है कि सरकार उसकी लाठी के बल पर जिन्दा है। जब उससे लाठी और गोली का काम लेती है, तो उसको ग़लत काम करने की छट देती है। उसका नतीजा आज दिल्ली में सामने आ रहा है। दिल्ली में आये दिन चोरियां हो रही हैं, लूट हो रही है, दिन-रात औरतों को भगाया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। यहां तक कि सरकारी अफसरों के घरों में भी चोरियां होती हैं, जो थोड़ी तनख्वाह वाले अफसर हैं, उनके घर का सफाया हो जाता है, लेकिन पुलिस वाले उन के लिये भी कुछ नहीं कर पाते हैं। वे बेचारे सिफारिश करवाते फिरते हैं, मुझे एक अण्डर सैक्रेटरी का केस मालूम है, जिसके घर का सफाया हो गया और वह बेचारा रोता फिर रहा है। लोक सभा के सदस्य भी इसके शिकार हुए हैं। अभी पिछले महीने मेरे घर में चोरी हुई, आने वाले ने समझा कि बड़ा मालदार होगा, उसने ताला नहीं तोड़ा सांकल निकाल दी, लेकिन उसको मिला क्या—दो-चार खादी के कपड़े मिले, इसके अलावा मेरे घर में कुछ नहीं होता है। एम० पीज० फ्लेटस इस तरह के बने हुए हैं कि इन में कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, कोई दिन में आये, रात में आये, यदि लोक सभा के सदस्य या राज्य सभा के सदस्य अपने घर में कुछ रखते हैं, तो वह सुरक्षित नहीं है।

जिस दिल्ली की यह दशा है, पुलिस की यह दशा है, जोकि गृह मंत्री की नाक के नीचे रहती है, तो फिर भ्रष्टाचार कैसे मिट सकता है। मैं चाहूंगा, कि अगली बार जब रिपोर्ट आवे तो उस में पुलिस के मामले में कितनी शिकायतें हुई, कितनी सजायें हुई, इन सब के लिये अलग से सूचना होनी चाहिये। जब तक पुलिस के मामले में अलग से सूचना नहीं मिलेगी, तब तक हम कुछ भी जान नहीं सकेंगे। दिल्ली की पुलिस केन्द्र के नीचे है, इस लिये पुलिस की सूचना इसमें आनी चाहिये। हजारों रिपोर्टें होती हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम सफल होती हैं, बाकी सफल नहीं होती हैं।

इसलिये मेरा निवेदन है कि सतर्कता आयोग की व्यवस्था बहुत नाकाफ़ी है, इसको यदि आप पूर्ण रूप से सफल बनाना चाहते हैं, जैसा कि नन्दा जी चाहते थे और जिसके वे खुद शिकार हो गये, तो इसको ठीक तरह से चलाना होगा, इसको हटा कर शीघ्र लोकपाल की नियुक्ति की जानी चाहिये, जिसको चीफ़ जस्टिस, हमारे राष्ट्रपति और विरोधी पक्ष के नेता मिल कर चुनें, ताकि उनमें हमारा पूर्ण विश्वास हो, राजनतिक लोगों के लिये एक आचार-संहिता बनाई जाय, जिसको लोकपाल पूर्ण रूप से पालन करवाये। अब समय आ गया है कि यदि आचार संहिता नहीं बनाई गई, उन भ्रष्टाचारी नेताओं के खिलाफ़ कार्यवाही नहीं होगी, तो चुनाव के बाद आप देखेंगे कि जनता का विश्वास इस बात से उठ जायगा कि भ्रष्टाचार मिट सकता है, वह यह कहेंगे कि भ्रष्टाचार राजनैतिक जीवन का अंग बन चुका है और वह मिटने वाला नहीं है। इसलिये मेरा आग्रह है कि आगे के लिये जो नाकाफ़ी बातें हैं, उनको पूरा किया जाय और पुलिस के लिये विशेष तौर पर अगली रिपोर्ट में सूचना दी जाय।

श्री त्यागी : सभापति महोदय, मैं बहुत थोड़ा समय लूंगा। असल में मेरा अपना विचार यह है कि भ्रष्टाचार बढ़ने का कारण . .

श्री हुक्म चन्द कछवाय : सभापति महोदय, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

[श्री हुकम चन्द कछवाय]

यहां के एक वरिष्ठ सदस्य का भाषण चल रहा है लेकिन सदन में गणपूर्ति नहीं है ।

Mr. Chairman: The bell is being rung. It has stopped. Still there is no quorum.

The bell is being rung again. It has stopped and still there is no quorum.

17.35 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, November 18, 1966/Kartika 27, 1888 (Saka).

GMGIPND—LS II—2073 (Ai) LSD— 22-12-66—970.